

न्यायालय उपजिलाधिकारी फूलपुर इलाहाबाद
 मुं० नं० 617 धारा 176 ज० वि० अधि०
 गौतम बुद्ध महाविद्यालय वरुण नगर
 स० प्र० लीली उर्फ रंगीला की फाँट सि० नं० 508/2 रकबा 1.15
 न० 16-4-11

न्यायालय उपजिलाधिकारी फूलपुर इलाहाबाद।

वाद संख्या 617 वर्ष 2011 अन्तर्गत धारा 176 ज० वि० अधि०
 गौतम बुद्ध महाविद्यालय बनाम जवाहरलाल आदि

सौजा सराय लीली, उपखोखापुर
 परगना-सिकन्दरा, तहसील-फूलपुर
 जिला-इलाहाबाद

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही लेखपाल द्वारा दाखिल कुरा-फॉट रंगा-मेजी नजरी नक्शा दिनांक 13 09.2011 के पश्चात संचालित की गयी। प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय में इस आशय का शपथ पत्र दिनांक 11.08.2011 को प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि का बंटवारा कर दिया जाय कोई आपत्ति नहीं है। इस न्यायालय द्वारा प्रा० डि० का आदेश दिनांक 25.08.2011 को पारित किया जा चुका है। क्षेत्रीय लेखपाल ने न्यायालय में उपस्थित आकर कुरा-फॉट एवं रंगा-मेजी नजरी नक्शा की पुष्टि किया है।

चिट्ठी नं०-1 वादी गौतम बुद्ध महाविद्यालय सराय लीली उर्फ खोजापुर परगना सिकन्दरा तहसील फूलपुर जनापद इलाहाबाद के गाटा संख्या 508/1 रकबा 0.9010 व गाटा सं० 602/1 रकबा 0.3470 मू० र० 29.70 पैसा जो रंगा मेजी नजरी नक्शा में हरा रंग से प्रदर्शित किया गया जो exक-1-3 है।

इसी प्रकार चिट्ठी नं० 2 प्रतिवादीगण जवाहरलाल आदि को गाटा संख्या 508/2 रकबा 1.1510 व 602/2 रकबा 0.3470 मू० र० 35.40 पैसा जो रंगा-मेजी नजरी नक्शा में लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है। इसी के अनुसार पक्षकार मोठे पर कायिज व दाखिल हैं।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर लेखपाल द्वारा प्रस्तुत फॉट एवं रंगा-मेजी नजरी नक्शा स्वीकृत किया जाता है। रंगा-मेजी नजरी नक्शा व कुरा-फॉट आदेश का अंग होगा। तदनुसार अन्तिम चिट्ठी बनवी जाय परवाना जारी हो। वाद परवाना अमलदरामद पत्रावली दाखिल अफसर हो।



27-12-11
 29-12-11
 29-12-11
 125

(समरचाम)
 उपजिलाधिकारी
 फूलपुर इलाहाबाद

गौतम बुद्ध महाविद्यालय
 फूलपुर, इलाहाबाद